..........को पेश हुई।
आगामी दिनांक.....8.10.15.....को पेश हो।
पूर्व का आदेश यथावत रहेगा।

8-10-15

उभयपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकार्य से बाहर है/ अवकाश पर है/ पद रिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक..10-12-15...
को पेश हो। पूर्व का आदेश यथावत रहेगा।

रीडर
सहायक कलक्टर माण्डल

10-12-15

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 7-4-16 को पेश हो। अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी आदेश तक बढ़ाया जाता है।

7-4-16

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/ बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 11-8-16 को पेश हो। पूर्व का आदेश यथावत रहेगा।

11-5-16

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर छापाला (मांडल पर पेश हुई। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल/ बदम तामिल प्राप्त नहीं हुये। प्रार्थी एवं विपक्षीगण उपस्थित नहीं।
मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व दस्तावेजों पर मनन किया गया। विवादित काश्तकारियान ग्राम छापाला (मां) तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा में स्थित होकर डोगा S/O हेमा भील काबिज देह के नाम दर्ज रेकार्ड हो। जरिये इन्तकाल नम्बर 2086 दिनांक 20-9-12 के द्वारा विरासत में डोगा के बजाय मगना, दूली के नाम दर्ज कराने की स्वीकृति हुई। प्रतापी, S/O डोगा के नाम दर्ज कराने की स्वीकृति हुई। जरिये इन्तकाल नम्बर 2091 दिनांक 20-11-12 के द्वारा हक त्याग के दूली, प्रतापी S/O डोगा का नाम विलोपित करने की स्वीकृति हुई। जिसकी तर्दीद प्रस्तुत राजस्व कामिसेरय जमाबंदी की नकल सम्वत 2068 से 2071 की फोटो प्रति से होती है।

(देबी सिंह)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर माण्डल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेजों के अनुसार विवादित अराजियात होगा ५० हेमा भील के नाम दर्ज रेकार्ड थी प्रार्थना पत्र की मलक नं २ में वर्णित शजरे के अनुसार प्रार्थी एवं विपक्षीगण क्रमांक १ से ५ का हक व हिस्सा है क्योंकि विवादित अराजियात पुश्तैनी है तथा प्रार्थी एवं विपक्षीगण क्र. १ से ५ आपस में भगाना की संतान है विपक्षीगण ने प्रार्थना पत्र के खण्डन में कोई जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। इस कारण प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा संतुलन प्रार्थी का है. प्रार्थी का विवादित व विपक्षीगण क्रं. १ से ५ का है. प्रार्थी विपक्षी क्रं. १ का अराजियात में 1/5 हिस्सा है. प्रार्थी व विपक्षीगण क्रं. १ से ५ का समान पुत्र है. प्रार्थी व विपक्षीगण अविभाजित अराजियात है. जब हक व हिस्सा होकर अविभाजित अराजियात है. जब तक विभाजन नहीं हो जाता है तब तक प्रत्येक का हक व हिस्सा है किन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में नहीं है तथा विपक्षी क्रं. १ के नाम बेचान करने तथा खुर्द बुर्द दर्ज होने के कारण बेचान करने पर कायदा है जिससे प्रार्थी के हित प्रभावित हो रहे हैं इस कारण प्रार्थी अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिये विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाहता है.

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने से विपक्षीगण के विरुद्ध दिनांक 15-9-2014 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को दावा के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाना उचित समझता हूँ अतः

आदेश :

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 15-9-2014 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दावा के निस्तारण तक विपक्षीगण के विरुद्ध कन्फर्म की जाती है। पत्रावली पेशी तारीख शुमार की जाकर दावा के साथ पेश की जावे ।।

(देवी सिंह)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर [illegible]